

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

10

प्रथम अपील संख्या 52/2021

पिताम्बर शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दैनिक अंबर कार्यालय जी-4, मान नगर, झुंझुनू, तहसील व
जिला झुंझुनू।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील
आदेश

दिनांक 15.04.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 23.03.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 52/2021 पर दिनांक 23.03.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2020 /1048-49 दिनांक 23.03.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू ने पत्रांक आरटीआई/2021/209 दिनांक 12.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी पिताम्बर शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दैनिक अंबर कार्यालय जी-4, मान नगर, झुंझुनू, द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01.01.2015 से 24.12.2020 तक झुंझुनू शहर की कृषि भूमि का अकृषि कार्यों के लिए उपयोग में ली गई भूमि बाबत धारा 177 के प्रकरणों बाबत सूचना चाही गई थी। धारा 177 के प्रकरण माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां दर्ज रजिस्टर होते हैं। अतः वांछित सूचना संबंधित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। जिसकी सूचना अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/205 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करें।
5. वकील अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनू द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/209 दिनांक 12.04.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी पिताम्बर शर्मा पुत्र श्री रामावतार शर्मा, जाति ब्राहमण, निवासी दैनिक अंबर कार्यालय जी-4, मान नगर, झुंझुनू, द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01.01.2015 से 24.12.2020 तक झुंझुनू शहर की कृषि भूमि का अकृषि कार्यों के लिए उपयोग में ली गई भूमि बाबत धारा 177 के प्रकरणों बाबत सूचना चाही गई थी। धारा 177 के प्रकरण माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां दर्ज रजिस्टर होते हैं। अतः वांछित सूचना संबंधित न्यायालय से प्राप्त की जा सकती है। जिसकी सूचना अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/205 दिनांक 07.04.2021 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत भिजवाई जा चुकी है। बहस के दौरान वकील अपीलार्थी ने बताया कि उन्हे सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। लो0सू0अ0 (तहसीलदार), झुंझुनू को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी को साफ पठनीय सूचना निःशुल्क 7 दिवस में उपलब्ध करावें।
7. अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते हैं।

आदेश आज दिनांक 15.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
15/4/21

